तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म ... में जा...
17/05/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बैंक की ओर से वकील पीताम्बर नैथानी उप. ने वकालतनामा दिया। शेष प्रार्थीगण अनुपस्थित। कारण दिखाई नहीं। लगातार कारण दिखाये अनुपस्थित रहने के प्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण से बहस सुनी नहीं। मौका मुआयना के लिये जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। मौका की [illegible] तहरीर जारी हो। मामला [illegible] होने पर शामिल मिसिल की जावे। पत्रावली निर्णय हेतु [illegible] हो। [illegible]	-[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामा[illegible]

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 18 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. मीरोदेवी पत्नी भूराराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान
2. लहरोदेवी पत्नी हरदाराम जाति रबारी निवासी जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. खेराजराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी
2. मोहनलाल पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी बातों की ढाणी
3. आम्बा पुत्र फूआ
4. समदा पत्नी फूआ
5. हरदा पुत्र फूआ जाति रबारी निवासी जाटों की ढाणी
6. गणेशा पुत्र राजा
7. गवरीदेवी पत्नी खेताराम
8. चूनाराम पुत्र धीराराम
9. चम्पा पत्नी राजा
10. तगा पुत्र हरका
11. तेजाराम पुत्र पूनमा
12. दुर्गाराम पुत्र पूनमा
13. धर्मी पत्नी पूनमा
14. प्रभूराम पुत्र पूनमा
15. भेराराम पुत्र पूनमा
16. भलाराम पुत्र पूनमा
17. भीखा पुत्र हिमता
18. माना पुत्र हिमता
19. लाला पुत्र हिमता
20. सुजा पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी
21. अतिया पत्नी मला
22. देवाराम पुत्र चुतरा
23. पैलादराम पुत्र चुतरा
24. पांचाराम पुत्र मला
25. मानाराम पुत्र जालाराम
26. लक्ष्मी पत्नी चुतरा
27. वीरमाराम पुत्र मला
28. सेधाराम पुत्र मला जाति रबारी निवासी जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
29. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा गुड़ामालानी
30. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. कृषि शाखा गुड़ामालानी
31. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा रामा प्रताप बाड़मेर गुड़ामालानी
32. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी
33. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 17-05-22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2072–2075 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा जाटों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 5.4713 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा जाटों की ढाणी पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 5.4713 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/5/22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी